भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*333**

(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों के लिए पेंशन**

333. श्री रामनाथ ठाकुरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को पेंशन देने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 80 वर्ष से अधिक की उम्र को पार कर चुके कई बुजुर्गों को अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बिहार में एक बार पुनःसर्वेक्षण कराकर इसकी जांच कराएगी; और

(ङ) बिहार में ऐसे कितने लोग बचे हैं जिनकी उम्र 70 से 80 वर्ष हो गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

**(क) से (ड.):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘‘अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों के लिए पेंशन” के संबंध में श्री रामनाथ ठाकुर द्वारा पूछे गए 27 मार्च, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*333 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) और (ख):** जी, हां। केन्द्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत बुजुर्गों को पेंशन उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। योजना का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक स्वैच्छिक, आवधिक अंशदान पर आधारित पेंशन प्रणाली है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु समूह वाले सभी बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अभिदाताओं को गारंटीयुक्त पेंशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसका शुभारंभ मई 2015 में किया गया था और 18 मार्च, 2018 तक एपीवाई में लगभग 94 लाख अभिदाताओं ने अंशदान किया है।

(ii) एपीवाई योजना के अंतर्गत अभिदाताओं के द्वारा जमा किए गए मासिक या तिमाही या छमाही अंशदान से 1.7 लाख रुपए या 3.4 लाख रुपए या 5.1 लाख रुपए या 6.8 लाख रुपए या 8.5 लाख रुपए, जैसा भी मामला हो, के अपेक्षित संचित राशि के आधार पर क्रमश: 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए या 4,000 रुपए या 5,000 रुपए की न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन देने के लिए अपेक्षित राशि सृजित होती है।

(iii) अभिदाता की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी/उसका पति आजीवन पेंशन की वही राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो अभिदाता अपनी मृत्यु तक प्राप्त कर रहा था।

(iv) अभिदाता तथा उसकी पत्नी/उसके पति, दोनों की मृत्यु के पश्चात अभिदाता के नामिती, अभिदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संचित पेंशन की धनराशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

**(ग):** अटल पेंशन योजना में अभिदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसके द्वारा चयनित पेंशन योजना के अनुसार उन्हें पेंशन प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। एपीवाई योजना इस समय संचयन के चरण में है और अलग-अलग अभिदाताओं को उनके द्वारा चयनित पेंशन योजना के आधार पर पेंशन प्रदान किए जाने का कार्य इसमें शामिल अभिदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर इस योजना की परिपक्वता के पश्चात आरंभ होगा।

**(घ):** प्रश्न नहीं उठता।

**(ड.):** बिहार राज्य में 15 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, एपीवाई के अंतर्गत कुल 9,76,258 अभिदाता हैं।

\*\*\*\*\*